

पत्र संख्या - 410 / प्रशा०-एक-

दिनांक : 19/02/2025

विज्ञापित

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद 104 महात्मा गाँधी मार्ग, मुख्यालय लखनऊ में भूमि अर्जन अनुभाग में भूमि अधिग्रहण हेतु सेवानिवृत्त राजस्व डिप्टी कलेक्टर को अंतिम आहरित वेतन (मूलवेतन + महंगाई भत्ता) को फ्रीज करते हुए उसमें शुद्ध पेंशन की धनराशि घटाने के बाद नियत वेतन पर आगामी एक वर्ष हेतु अनुबंधित किया जाना है। ऐसे राजस्व डिप्टी कलेक्टर जो सेवानिवृत्त हो तथा आवेदनकर्ता के सेवानिवृत्त संस्थान में कार्यव्यवहार अच्छा रहा हो उक्त के सम्बन्ध में अनुभव प्रमाण पत्र (सेवाकाल के दौरान अनुभव को शामिल करते हुए) एवं मूल विभाग से सेवा विवरण एवं विगत पाँच वर्षों की संतोषजनक सेवा / अनुशासनिक कार्यवाही एवं गोपनीय प्रविष्टियों के साथ आवेदन कर सकते हैं। उक्त चयन गठित समिति द्वारा उनके सेवा विवरण के आधार पर प्रदान किये गये अंकों के आधार पर आवास आयुक्त महोदय की स्वीकृति के उपरांत किया जाएगा, आवेदन पत्र का प्रारूप परिषद की वेबसाइट <https://upavp.in> पर उपलब्ध है।

2. इच्छुक सेवा निवृत्त कार्मिक दिनांक 10.03.2025 तक सामान्य कार्यदिवसों में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे के मध्य अपना सेवा विवरण से सम्बन्धित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न कर, आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ को डाक / व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आवेदन पत्र का प्रारूप

- 1- नाम -
- 2- पिता का नाम -
- 3- जन्म तिथि -
- 4- सेवानिवृत्त के समय धारित पद :-
- 5- पी०पी०ओ० की स्वप्रमाणित प्रति :-
- 6- अनुभव :-
- (जिस सेवा संस्थान से सेवानिवृत्त हुए हों)
- 7- सेवानिवृत्ति पहचान पत्र :-
- 8- स्थाई पता
- 9- पत्राचार का पता
- 10- मोबाईल नं०
11. ईमेल आई०डी०

पासपोर्ट साईज
का स्वप्रमाणित
फोटो चिपकायें

घोषणा पत्र

आवेदन प्रारूप पर दी गयी सूचना / तथ्य / आख्या असत्य पाये जाने पर मेरी नियुक्ति निरस्त कर दी जाये, जो मुझे मान्य होगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

इच्छुक सेवा निवृत्त कार्मिक दिनांक 10 / 03 / 25 तक अपना सेवा विवरण एवं क्रमांक- 3, 4, 6, 7, 8 एवं 9 से सम्बन्धित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न कर आवास आयुक्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग लखनऊ को डाक / व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें ☎ 1800-180-5333 (टोल फ्री नंबर), 0522-2236803